रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 1972/ज्येष्ठ 1, 1894

No. 255] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 1972/JYAISTHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th May 1972

S.O. 367(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints Shri U. P. Bhat, Executive Officer, Association of State Rural Transport Undertaking, New Delhi, as Member of the investigating team set up by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 31(E) dated the 14th January, 1972 for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of Messrs. Hindustan Motors Limited, Uttarpara, District Hooghly, West Bengal for production of commercial vehicles (trucks and buses) and directs that the following addition shall be made in the said Order, namely:—

In the said Order:

After the name at S. No. 4 "Shri B. S. V. Rao, Development Officer (Auto) Dte. General of Tech. Dev., New Delhi"

the following name at S. No. 5 will be added:

"Shri U. P. Bhat, Executive Officer, Association of State Rural Transport Undertaking, New Delhi".

[No. 1(129)/71-AEI(I).]

S. M. GHOSH, Joint Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई 1972

का० आ० 367(अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राज्य ग्रामीण परिवहन उपक्रम की एसोसियेशन, नई दिल्ली, के कार्यपालक अधिकारी श्री यू० पी० भट को एतद्द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 31(ई) तारीख 14 जनवरी, 1972 द्वारा, वाणिज्यिक यानों (ट्रकों और बसों) के उत्पादन के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपाड़ा, जिला हुगली पश्चिमी बंगाल, के कार्यकलाप का पूरा और संपूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए अन्वेषण टीम का सदस्य नियुक्त करती है निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा, अर्थात —

उक्त आदेश में

क्रम सं० 4 पर "श्री बी० एस० बी० राव, विकास अधिकारी (आटो) तकनीकी विकास निदेशालय, नई दिल्ली के नाम के पश्चात् क्रम सं० 5 पर निम्नलिखित नाम जोड़ दिया जायेगा :—

"श्री यू० पी० भट्ट, कार्यपालक अधिकारी, राज्य ग्रामीण परिवहन उपक्रम की एसोसियेशन, नई दिल्ली ।"

[सं० 1(129)/71-ए ई आई (I)]

एस० एम० घोष,

संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972